

निजी महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2017-18 की NOC के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।

निजी महाविद्यालयों हेतु निर्देश

- ऐसे आवेदक जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर अपना आवेदन अंतिम तिथि से पूर्व LOCK & SUBMIT तो कर दिया है किन्तु 15 दिवस के अन्दर सम्बंधित नोडल निरीक्षण अधिकारी को आवेदन की हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाई है वे तुरंत सम्बंधित नोडल निरीक्षण अधिकारी (महाविद्यालय) से संपर्क करें अन्यथा उनके आवेदन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- विभाग द्वारा इस प्रक्रिया के लिए समय-समय पर जारी किये जाने वाले SMS व ई-मेल की अनुपालना सुनिश्चित करें।
- विभागीय वेबसाईट dce.rajasthan.gov.in के circular लिंक पर भी इस सम्बन्ध में जारी आदेशों व दिशा निर्देशों का अवलोकन करते हुए अनुपालना सुनिश्चित करें।

नोडल निरीक्षण अधिकारी हेतु निर्देश

- समस्त नोडल निरीक्षण अधिकारी अपने लॉग इन में प्राप्त आवेदनों की जांच करें तथा सम्बंधित निजी महाविद्यालय से संपर्क कर निरीक्षण कार्य संपन्न कर 45 दिवस के अन्दर निरीक्षण रिपोर्ट आयुक्तालय को प्रेषित करें।
- यदि कोई निजी महाविद्यालय आवेदन को LOCK & SUBMIT करने के 15 दिवस के अन्दर हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं कर रहा हो या अनावश्यक विलम्ब कर रहा हो तो उसे चेतावनी पत्र जारी करते हुए आयुक्तालय को सूचित करें ।
- विभाग द्वारा इस प्रक्रिया के लिए समय-समय पर जारी किये जाने वाले SMS व ई-मेल की अनुपालना सुनिश्चित करें।
- इस सन्दर्भ में विभागीय वेबसाईट dce.rajasthan.gov.in के circular लिंक पर जारी पूर्व पत्रों व दिशा निर्देशों (274, 10.10.16; 276, 21.10.16; 280,18.11.16; 284, 28.11.16; 286, 7.12.16) का अवलोकन करते हुए निरीक्षण प्रक्रिया निर्धारित समय में संपन्न करें।